

## 7- आयु -

सेवा में सहायक बोरिंग तकनीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जायें, पहली जुलाई को अट्टारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और चालीस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

## 8-चयन का आधार -

प्रश्नगत पदों पर चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-3-2015-13/19/2015, दिनांक- 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह 'ग' के पदों के सीधी भर्ती (रीति और प्रक्रिया) नियमावली, 2015, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या- 4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक- 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो) तथा उत्तर प्रदेश लघु सिंचाई विभाग बोरिंग प्राविधिज्ञ सेवा नियमावली, 1993 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन-2003, द्वितीय संशोधन-2006 एवं तृतीय संशोधन-2010) तथा निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, का पत्र संख्या-843/स0क0/शिक्षा-अ/110/ रा0औ0प्र0के0 /2024-25, दिनांक-14-06-2024 एवं नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन से निर्गत पत्र संख्या-484/76-4-2024, दिनांक-02-07-2024 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।

## 9- - सहायक बोरिंग तकनीशियन के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) की परीक्षा योजन एवं पाठ्यक्रम-

लिखित परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात् ¼ होगी।

### परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	1) आधार सुरक्षा परिचय	10	10	

	2) विद्युत की मौलिक अवधारणाएं	05	05	दो घण्टा (120 मिनट)
	3) इंजीनियरिंग धातु	05	05	
	4) इकाई प्रणाली	05	05	
	5) पदार्थ विज्ञान	05	05	
	6) द्रव्यमान, भार तथा घनत्व	05	05	
	7) चाल एवं वेग	05	05	
	8) कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा	05	05	
	9) ऊष्मा और तापमान	05	05	
	10) बल	05	05	
	11) तापमानमापी उपकरण	05	05	
	12) चक्रीय गति	05	05	
भाग-2	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-3	उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	

### पाठ्यक्रम

#### भाग-1

#### (विषयगत ज्ञान)

#### (1) आधार सुरक्षा परिचय

आधार सुरक्षा परिचय, व्यक्तिगत सुरक्षा, आधारभूत चोट निवारण, आधारभूत प्राथमिक चिकित्सा, जोखिम की पहचान और परिहार, खतरा, चेतावनी, सावधानी के लिए सुरक्षा चिह्न और निजी सुरक्षा सन्देश, अग्नि शामकयन्त्र का प्रयोग, उद्योगों में सम्मिलित विभिन्न सुरक्षा मानका

#### (2) विद्युत की मौलिक अवधारणाएं

विद्युत की मौलिक अवधारणाएं, इलेक्ट्रॉन सिद्धान्त, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मूलभूत तत्व, परिभाषा, विद्युत प्रवाह का प्रभाव एवं इकाई, व्याख्या, कन्डक्टर की परिभाषा एवं गुण, इन्सुलेटर एवं सेमी कन्डक्टर। सोल्डर्स, फ्लक्स एवं सोल्डरिंग तकनीक, ब्रेजिंग प्रतिरोधक के प्रकार एवं गुण, विशिष्ट, प्रतिरोध, ओम का नियम, साधारण विद्युत सर्किट एवं समस्याओं प्रतिरोधक, प्रतिरोध के नियम, सिरीज, समानान्तर एवं कम्बिनेशन सर्किट। किरचॉफ का नियम एवं अनुप्रयोग, व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धान्त एवं उसका अनुप्रयोग।

#### (3) इंजीनियरिंग धातु

इंजीनियरिंग धातु के भौतिक गुण- रंग, भार, संरचना एवं चालकता, चुम्बकीय, फ्यूजिबिलिटी, विशिष्ट गुरुत्व यांत्रिक गुण- लचीलापन, विस्तारण योग्यता (मैलियेबिलिटी), कठोरता (हार्डनेस), भंगुरता (ब्रिटिलिनेस), टोसपन (टफनेस), टेनेसिटी, एवं देखरेखा वर्नियर बेवेल प्रोटेक्टर, निर्माण, श्रेणीकरण, वाचन, अनुप्रयोग एवं देखरेखा डायल वर्नियर कैलीपर, डिजिटल वर्नियर कैलीपर्स।

(4) इकाई प्रणाली

एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस/एसआई यूनिट, लम्बाई की इकाई, द्रव्यमान एवं समय, इकाई का रूपान्तरण।

(5) पदार्थ विज्ञान

भौतिक एवं यांत्रिक गुण, प्रकार- लौह एवं अलौह, लौह एवं अलौह में अन्तर, आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, स्टील का परिचय तथा स्टील में अन्तर, मिश्रधातु स्टील, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, अलौह धातुएं, अलौह मिश्रधातुएं।

(6) द्रव्यमान, भार तथा घनत्व

द्रव्यमान, द्रव्यमान तथा भार की इकाई, द्रव्यमान तथा भार में अन्तर, घनत्व, घनत्व की इकाई, धातुओं का विशिष्ट गुरुत्व।

(7) चाल एवं वेग

विश्रान्ति एवं गति, चाल, वेग, चाल एवं वेग में अन्तर, त्वरण, गति के समीकरण, सम्बन्धित सरल समस्याएं।

(8) कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा

कार्य, कार्य की इकाई, शक्ति की इकाई, इंजन की अथ शक्ति, यांत्रिक दक्षता, ऊर्जा, ऊर्जा का उपयोग, स्थैतिक तथा गतिज ऊर्जा, स्थैतिक तथा गतिज ऊर्जा के उदाहरण।

(9) ऊष्मा और तापमान

ऊष्मा और तापमान, ऊष्मा और तापमान की इकाईयां, ऊष्मा और तापमान में अन्तर, क्वथनांक, गलनांक, तापमान का पैमाना, तापमान के विभिन्न पैमानों के बीच सम्बन्ध, थर्मामीटर, पायरोमीटर, ऊष्मि का संचरण, चालन, संवहन, विकिरण।

(10) बल

बल की परिभाषा, कम्प्रेसिव, टेन्साइल, शीयर बल तथा साधारण समस्यायों स्ट्रेस, स्ट्रेन, अल्टीमेट स्ट्रेन्थ, सुरक्षा के कारका एमएस के लिए स्ट्रेस-स्ट्रेन वक्र का बुनियादी अध्ययन।

(11) तापमानमापी उपकरण

ठोस एवं द्रव की विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्मीय चालकता, ऊष्मा हानि, ऊष्मा अर्जन।

(12) चक्रीय गति

चक्रीय गति एवं रेखीय गति के बीच सम्बन्ध, केन्द्रापसारक बल, केन्द्राभिमुख बल।

भाग-2

(कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं

नवाचार का ज्ञान)

- कम्प्यूटर, सूचना तकनीकी, इन्टरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग।
- निम्नलिखित बिन्दुओं सम्बन्धी सामान्य ज्ञान-
  - हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर।
  - इनपुट एवं आउटपुट।
  - इन्टरनेट प्रोटोकॉल/आईपीओ एड्रेस।
  - आईटीओ गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग।
  - ई-मेल आईडी को बनाना एवं ई-मेल का प्रयोग/संचालन।
  - प्रिंटर, टेबलेट एवं मोबाइल का संचालन।
  - वर्ड प्रोसेसिंग (MS-Word) एवं एक्सेल प्रोसेसिंग (MS-Excel) के महत्वपूर्ण तत्वा।
  - ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई-गवर्नेंस।

9/1/2021

- डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग।
- भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा।
- कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स) तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ आदि।

### भाग-3

#### (उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित सामान्य जानकारी)

उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषायें, विरासत, सामाजिक रीति-रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, खान और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राजव्यवस्था एवं प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियाँ आदि।

#### Examination Plan and Syllabus of Main Examination (Written Examination) for selection to the vacant posts of direct recruitment of Assistant Boring Technician

There will be one question paper in the written examination, which will contain 100 questions and the total time duration will be two hours. The questions of the examination will be objective and multiple-choice type. Each question will be of one mark. There is a provision of negative marking for each wrong answer, which will be 25 percent i.e.  $\frac{1}{4}$  of the marks prescribed for that question.

#### Examination Plan

The parts of examination, subjects, number of questions, total marks and time period will be as per the details given below-

Part	Subject	Number of Questions	Total Marks	Time Period
Part-1	1) Basic Safety Introduction	10	10	Two Hours (120 Minutes)
	2) Basic Concepts of Electricity	05	05	
	3) Engineering Metals	05	05	
	4) Unit System	05	05	
	5) Materials Science	05	05	
	6) Mass, Weight and Density	05	05	
	7) Speed and Velocity	05	05	
	8) Work, Power and Energy	05	05	
	9) Heat and Temperature	05	05	
	10) Force	05	05	
	11) Thermometric Instruments	05	05	
	12) Rotational Motion	05	05	
Part-2	Knowledge of concepts of Computer and Information Technology and	15	15	

	contemporary technological development and innovation in this field			
<b>Part-3</b>	General information related to the State of Uttar Pradesh	20	20	
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	

## SYLLABUS

### Part-1

#### (Subject related Knowledge)

#### (1) Basic Safety Introduction

Basic safety introduction, personal safety, basic injury prevention, basic first aid, hazard identification and avoidance, danger, warning, safety signs for caution and personal safety messages, use of fire extinguishers, various safety standards followed in industries.

#### (2) Basic Concepts of Electricity

Basic concepts of Electricity, Electron theory, free electrons, fundamental elements, definition, effect of electric current and its unit, explanation, definition and properties of Conductors, Insulators and Semiconductors. Solders, Flux and Soldering techniques, types and properties of Brazing Resistors, specific Resistance, Ohm's law, simple Electrical Circuits and problems. Resistors, laws of Resistance, Series, Parallel and combination circuits. Kirchoff's law and applications, Wheatstone bridge theory and its applications.

#### (3) Engineering Metals

Physical Properties of Engineering Metals- Colour, Weight, Structure and Conductivity, Magnetic, Fusibility, Specific Gravity. Mechanical Properties- Ductility, Malleability, Hardness, Brittleness, Toughness, Tenacity and Maintenance. Vernier Bevel Protectors, Manufacture, Grading, Reading, Applications and Maintenance. Dial Vernier Callipers, Digital Vernier Callipers.

#### (4) Unit System

FPS, CGS, MKS/SI Units, Units of Length, Mass and Time, Conversion of Units.

#### (5) Materials Science

Physical and Mechanical Properties, Types- Ferrous and Non-Ferrous, Difference between Ferrous and Non-Ferrous, Iron, Cast Iron, Wrought Iron, Introduction to Steel and Difference between Steel, Alloy Steels, Carbon Steel, Stainless Steel, Non-Ferrous Metals, Non-Ferrous Alloys.

#### (6) Mass, Weight and Density

Mass, units of Mass and Weight, difference between Mass and Weight, Density, units of Density, specific gravity of Metals.

9/10/2019

*KS*

*S*

*X*

**(7) Speed and Velocity**

Rest and Motion, Speed, Velocity, difference between Speed and Velocity, Acceleration, equations of Motion, related simple problems.

**(8) Work, Power and Energy**

Work, unit of Work, unit of Power, Horsepower of an Engine, Mechanical efficiency, Energy, use of Energy, Potential and Kinetic energy, examples of Potential and Kinetic energy.

**(9) Heat and Temperature**

Heat and Temperature, units of Heat and Temperature, difference between Heat and Temperature, Boiling point, Melting point, scale of Temperature, relation between different scales of Temperature, Thermometer, Pyrometer, transmission of Heat, Conduction, Convection, Radiation.

**(10) Force**

Definition of Force, Compressive, Tensile, Shear force and simple problems. Stress, Strain, ultimate strength, factor of safety. Basic study of Stress-Strain curves for MS.

**(11) Thermometric Instruments**

Specific heat of solids and liquids. Thermal conductivity, Heat loss, Heat gain.

**(12) Rotational Motion**

Relation between Rotational motion and Linear motion, Centrifugal force, Centripetal force.

**Part-2**

**(Knowledge of Concepts of Computer and Information Technology and Contemporary Technological Development and Innovation in this field)**

- History, Introduction and Application of Computer, Information Technology, Internet and World Wide Web (WWW).
- General Knowledge related to:
  - Hardware and Software.
  - Input and Output.
  - Internet Protocol/IP Address.
  - IT gadgets and their applications.
  - Creation of e-mail ID and use/operation of e-mail.
  - Operation of Printer, Tablet and Mobile.
  - Important elements of Word Processing (MS-Word) and Excel Processing (MS-Excel).
  - Operating System, Social Networking, e-Governance.
- Digital Financial Tools and Applications.
- Future Skills and Cyber Security.

2/20/21  
K  
S

- Technological Development and Innovation in the field of Computer and Information Technology (Artificial Intelligence, Big Data Processing, Deep Learning, Machine Learning, Internet of Things) and India's achievements in this field etc.

### Part-3

#### (General information related to The State of Uttar Pradesh)

History of Uttar Pradesh, Culture, Art, Architecture, Festivals, Folk Dances, Literature, Regional Languages, Heritage, Social Customs and Tourism, Geographical Landscape and Environment, Natural Resources, Climate, Soil, Forests, Wildlife, Mines and Minerals, Economy, Agriculture, Industry, Business and Employment, Polity and Administration, Current Events and achievements of Uttar Pradesh State in various fields etc.

### 10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-04-परीक्षा/2026, सहायक बोरिंग तकनीशियन मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2025)/05 की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2025 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को [अंतिम कटऑफ अंक तक नार्मलाइज्ड स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए] लिखित परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जायेगा।

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2019 को प्रकाशित आवश्यक सूचना संख्या-42/05/विज्ञा0 अनु0 (ग्यारह)/2019 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार होगी।

### 11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

- 11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
- 11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।
- 11.04- सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 05-05-2026 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।
- 11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 व अद्यतन सुसंगत शासनादेशों अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 11.06- महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

- 11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।
- 11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।
- 11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से प्रश्रुत पदों की चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।
- 11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
- 11.11- मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान में शिथिलीकरण प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/2026/06/47-का-2-2026 दिनांक: 30 जनवरी, 2026, लखनऊ द्वारा "उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा हेतु मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली, 2026" निर्गत की गयी है। तदनुसार मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों को उक्त नियमावली में उल्लिखित प्राविधानानुसार आयु सीमा में छूट एवं अधिमान प्रदान किया जायेगा।
- 11.12- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 11.13- उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।
- 11.14- राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिला आरक्षण के अंतर्गत शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, (यथासंशोधित) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्ही श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बन्धित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- 11.15- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष में रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2026 से 05-05-2026 (आवेदन की अंतिम तिथि)


के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

- 11.16- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 11.17- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।
- 11.18- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र, तिथि व समय में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 11.19- आवेदन-पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.20- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्रुत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 11.21- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं। अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से सम्बन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 11.24- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो आयोग की वेबसाइट <https://upsssc.gov.in> के माध्यम से अथवा किसी भी कार्य दिवस में आयोग कार्यालय में संपर्क कर अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 11.25- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 11.26- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन-पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन-पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- 11.27- किसी अशुद्धि, त्रुटि व विरोधाभास आदि की स्थिति में संगत सेवा नियमावली, आरक्षण अधिनियम व एतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था मान्य होगी।

2/1/2019

- 11.28- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली अन्य परीक्षाओं / चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-2024, दिनांक 06 अगस्त, 2024 के प्राविधान प्रश्रुत परीक्षा में लागू रहेंगे। किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 11.29- क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण के अधीन चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

  
16/03/2026  
सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,  
लखनऊ।